RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MH/MR/South-329/2013–15

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ५, अंक (३५)] शनिवार, मार्च १, २०१४/फाल्गुन १०, शके १९३५ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ९

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

नगर विकास विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २० फरवरी २०१४।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. VI OF 2014.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६ सन् २०१४।

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश।

सन् १९६६ महा. ३७।
सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. १५ ।

क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपालने, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में संशोधन करने के लिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ (जिसे इसमें आगे " उक्त अध्यादेश " कहा गया है) ४ अक्तूबर २०१३ को प्रख्यापित किया था ;

और क्योंकि, ९ दिसंबर २०१३ को नागपूर में राज्य विधानमंडल के पुन: समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में बदलने के लिए एक विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में सन् २०१३ का विधानसभा विधेयक क्र. ३६ के रूप में ११ दिसंबर २०१३ को प्रस्तुत किया गया था ।

और क्योंकि, उक्त विधेयक राज्य विधानमंडल का २० दिसंबर २०१३ को सत्रावसान हो जाने के कारण प्रख्यापित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३(२) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश १९ जनवरी २०१४ के बाद राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने की दिनांक से छह सप्ताह के अवधि की समाप्ती होनेपर प्रवर्तित होने से परिविरत हो गया है ;

और क्योंकि, उक्त अधिनियम में कतिपय अतिरिक्त गौण संशोधनों को उसमें सम्मिलित करने के बाद, उक्त अध्यादेश को प्रवर्तन में जारी रखना इष्टकर समझती है ;

और क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा है ;

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को जारी रखने के लिए महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में कतिपय गौण संशोधनों को सम्मिलित करने के बाद, जिसे इसमें आगे ; सन् १९६६ का महा. ३७।

इसलिए अबी भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३(२) की धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर महाराष्ट्र के राज्यपाल एतद्द्वारा निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन और जारी रहना), अध्यादेश २०१४ अध्यादेश कहलाए ।

(२) यह ४ अक्तूबर २०१३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ३ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ के अध्याय तीन में (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है), " **विकास योजना** " शीर्षक के अधीन " (क) **विकास योजना की तैयारी प्रस्तुतीकरण और मंजूरी** ", शीर्षक के स्थान में, निम्न उप-शीर्षक रखा जायेगा, अर्थात् :– सन् १९६६ का महा. ३७ ।

" (क) **विकास योजना के आशय की घोषणा करना, तैयारी करना, प्रस्तुतीकरण और मंजूरी देना ।** " ।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा २१ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा २१ की,—

(क) उप-धारा (२) में, " प्रारूप विकास योजना तैयार करना और ऐसे रीत्या तैयारी करने की सूचना **राजपत्र** में प्रकाशित करेगी " शब्दों के स्थान में, " प्रारूप विकास योजना तैयार करने का अपना आशय घोषित करना, ऐसी योजना तैयार करना और ऐसे तैयारी की सूचना **राजपत्र** में प्रकाशित करना " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (४) में,—

(१) " यदि, प्रारूप विकास योजना प्रस्तुत नहीं की गई है " शब्दों के स्थान में, " यदि धारा २३ के अधीन प्रारूप विकास योजना के आशय की घोषणा नहीं की गई है या यदि प्रारूप विकास योजना प्रस्तुत नहीं की गई है " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) " नगर योजना के संबंधित प्रभागीय उप-निदेशक या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी जो नगर योजना के सहायक निदेशक से अनिम्न श्रेणी का नहीं है, उस क्षेत्र का आवश्यक सर्वेक्षण कार्यान्वित करने और नगर योजना निदेशक के परामर्श में विद्यमान-भूमि-उपयोग नक्शा तैयार करने के पश्चात् " शब्दों के स्थान में, " नगर योजना और मूल्यांकन विभाग के संबंधित प्रभागीय संयुक्त या उप-निदेशक या उसके द्वारा नामनिर्देशित नगर योजना के सहायक निदेशक से अनिम्न श्रेणी का नहीं है, कोई अधिकारी या, यथास्थिति, आशय घोषित करने और नगर योजना निदेशक के परामर्श में विद्यमान-भूमि-उपयोग नक्शा तैयार करने के पश्चात, उस क्षेत्र का आवश्यक सर्वेक्षण कार्यान्वित कर सकेगा " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (४क) में,—

(१) " २३ " और " २८ " अंक, अपमार्जित किये जायेंगे ;

(२) " नगर योजना के संबंधित प्रभागीय उप-निदेशक या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जो नगर योजना के सहायक निदेशक की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का है " शब्दों के स्थान में, " नगर योजना और मूल्यांकन विभाग के संबंधित प्रभागीय संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी या, यथास्थिति, नगर योजना के सहायक निदेशक से अनिम्न श्रेणी का है के द्वारा " शब्द रखे जायेंगे ;

(३) निम्न परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

परन्तु, उक्त अधिकारी, विकास योजना की तैयारी के चरण संबंधी नगर योजना निदेशक द्वारा कोई आदेश विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी अवधि के भीतर, योजना प्राधिकरण की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का अनुपालन करेगा :

परन्तु आगे यह कि, प्रथम परन्तुक के अधीन, ऐसे नियत अवधि की प्रमात्रा, सुसंगत धारा के अधीन, अनुबद्ध मूल अवधि से अधिक नहीं होगी ।"।

४. मूल अधिनियम की धारा २५ के लिये निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा २५ में संशोधन ।

" परंतु, इस प्रकार विस्तारित की गई अवधि, किसी मामले में कुल एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

५. मूल अधिनियम की धारा २६ की, उप-धारा (१) में,— सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा २६ में संशोधन ।

(एक) प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्न परन्तुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, नगर निगम के मामले में नवीनतम जनगणना के अनुसार, दस लाख या से अधिक जनसंख्या होगी तो, आक्षेपों और सुझावों को माँगने की अवधि **राजपत्र** में, अधिसूचना के दिनांक से साठ दिनों की होगी : "**;**

(दो) प्रथम परन्तुक में, " परन्तु " शब्द के स्थान में, " परन्तु आगे यह कि " शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) द्वितीय परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु यह भी कि, इस प्रकार विस्तीरित की गई अवधि, किसी मामले में,—

(एक) नवीनतम जनगणना के अनुसार, दस लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर निगम के मामले में कुल बारह महिने, और

(दो) किसी अन्य मामले में कुल छह महिने से अधिक नहीं होगी ।"।

६. मूल अधिनियम की धारा २८ की,— सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा २८ में संशोधन ।

(क) उप-धारा (२) के द्वितीय परन्तुक के स्थान, में, निम्न परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :-

-

" परंतु, आगे यह कि, धारा २१ की उप-धारा (४) के अधीन, जहाँ नगर योजना और मूल्यांकन विभाग के प्रभागीय संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक या उसके द्वारा नामनिर्देशित कोई अधिकारी, योजना प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनुपालन करेगा, तब योजना समिति, ऐसे प्रभागीय संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक या, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी से मिलकर होगी । ";

(ख) उप-धारा (३) में, " उसकी नियुक्ति के दिनांक से दो महिनों के पश्चात् नहीं " शब्दों के स्थान में, " उसकी नियुक्ति के दिनांक से दो महिनों की अवधि के भीतर या योजना प्राधिकरण ऐसी विस्तारित की गई अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट करें " शब्द रखे जायेंगे ;

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ३० में संशोधन ।

७. मूल अधिनियम की धारा ३० की, उप-धारा (१) के, परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :–

परन्तु, राज्य सरकार, योजना प्राधिकारी या उक्त अधिकारी द्वारा किये गये आवेदन पर, लिखित में आदेश द्वारा और पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करके, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये ऐसी अतिरिक्त अवधि द्वारा उक्त अवधि, समय-समय पर बढ़ा सकेगी, किन्तु किसी मामले में,–

(एक) नवीनतम जनगणना के आँकडों के अनुसार दस लाख या अधिकवाली नगर निगम के मामले में, बारह महिने, और

(दो) ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य मामले में छह महिने से अधिक नहीं होगी । ’’ ।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ३१ में संशोधन ।

८. मूल अधिनियम की धारा ३१ की,–

(क) उप-धारा (१) के, प्रथम परन्तुक में, निम्न परंतुक रखा जायेगा, अर्थात् :–

परन्तु, राज्य सरकार, जैसा उचित समझे, चाहे उक्त अवधि अवसित हो या न हो, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, प्रारूप विकास योजना के मंजूरी की अवधि समय-समय से विस्तारीत कर सकेगी या उसकी मंजूरी के अनुसार अस्वीकृत कर सकेगी, ऐसी अधिकतर अवधि,—

(एक) नवीनतम जनगणना आँकडों के अनुसार दस लाख या अधिक वाली नगर निगम के मामले में, बारह महिनों, और

(दो) ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए किसी अन्य मामले में, छह महिनों से अधिक नहीं होगी ; ’’

(ख) उप-धारा (२) में,—

(एक) “ वर्ग एक अधिकारी ’’ शब्द और अंक के स्थान में, “ समूह क अधिकारी ’’ शब्द और अक्षर रखे जायेंगे ;

(दो) “ राज्य सरकार को ’’ शब्दों के पश्चात्, निम्न निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

“ उप-धारा (१) के द्वितीय परन्तुक के अधीन, सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक वर्ष के भीतर ’’;

(ग) उप-धारा (३) में, निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

“ परंतु, उप-धारायें (१) और (२) में यथा उपर्युक्त उपबंधित समय-सीमा, उप-धारा (१) के अधीन प्रकाशित किये गये उपांतरणों के अनुदत्त मंजूरी के लिए लागू नहीं होगी :

परंतु आगे यह कि, सरकार, उप-धारा (२) के अधीन, नियुक्त अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्ति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर, ऐसे उपांतरणों संबंधी अंतिम निर्णय लेगी । ” ।

सन् १९६६ का महा. ३७ में धारा १४८-क की निविष्टी ।

९. मूल अधिनियम की धारा १४८ के बाद, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

कतिपय मामलों का अवधि अपमार्जन।

“ **१४८-क.** इस अधिनियम के अध्याय दो, तीन, चार और पाँच के उपबन्धो के अधीन किसी विकास योजना, प्रादेशिक योजना या योजना संबंधी, अवधि की गणना करते समय, किसी न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश के कारण, अवधि या अवधियों, के दौरान, उक्त अध्यायों के अधीन, कोई कार्यवाही पूरी नही की गई है तो वह अपवर्जित की जायेगी । ’’।

१०. संदेह के निराकरण के लिए एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि,—

संदेह का निराकरण । सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. ६।

(एक) जहाँ मूल अधिनियम के उपबंध, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन और जारी रहना) अधिनियम, २०१४ (जिसे इसमें आगे “ उक्त अधिनियम ’’ कहा गया है) द्वारा उसके संशोधन के पूर्व किसी बात को करने के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है तो, मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में नियत ऐसी बात करने के लिए समय सीमा, उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से परिगणित की जायेगी ;

(दो) मूल अधिनियम की धारा २१, २५, २६, २८ और ३१ के उपबंध उक्त अध्यादेश द्वारा उसके संशोधन के पूर्व, किसी बात करने की समय-सीमा के लिए उपबंध उक्त अध्यादेश द्वारा पुनरीक्षित किये गये है, अतिरिक्त अवधि यदि कोई हो, ऐसे पुनरीक्षण के कारण, उक्त अध्यादेश द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन या उक्त अध्यादेश के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व, जो भी बाद का हो, सुसंगत उपबंधों में प्राप्त मूल समय-अवधि के अवसान के दिनांक से परिगणित की जायेगी ।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ६ ।

११. (१) महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २०१३, एत्द्द्वारा निरसित किया जाता है । सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ६ का निरसन तथा व्यावृत्ति ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

१२. (१) इस अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत ऐसा निदेश दे सकेगी जिसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतित हो सके । कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ३७) की धारा २१ से ३१, विकास योजना की तैयारी, प्रस्तुतीकरण और मंजूरी से संबंधित है। महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१० (सन् २०११ का महा. १०) जो ५ अप्रैल २०११ को प्रवृत हुआ है के द्वारा, विकास योजना की तैयारी, प्रस्तुतीकरण और मंजूरी के लिए है जो उसके लिए की प्रक्रिया को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से, समय-सीमा पुनरीक्षित की गई है, ताकि साड़े तीन वर्षों से चार वर्षों की समान अवधि के भीतर उसे पुरा किया जा सके।

२. यह अधिनियम विकास योजना की तैयारी, प्रस्तुतीकरण और मंजूरी के विभिन्न अवस्थाओं को पूरा करने के लिये छोटे शहरों या मुंबई जैसे महानगरीय शहरों के लिये चाहे ऐसी योजनाओं का विचार किये बिना समय-सीमा में एकरूपता लाने के लिये उपबंध करता है । यह देखा गया है कि, बड़े शहरों के क्षेत्र, तेजी से हो रहे शहरीकरण वहाँ से उद्भूत होनेवाली संयुक्त समस्याओं को ध्यान में रखकर, योजना प्राधिकरण, को विकास योजनाओं की तैयारी में और अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर मंजूरी के लिए उसे प्रस्तुत करते समय जटिल समस्या आ रही है। यह भी देखा गया है कि, अधिनियम की धारा २६ की उप-धारा (१) में प्राप्त तीस दिनों की समय-सीमा में माँगे गये आक्षेपों और सुझावों के लिए बड़े शहरों के लिए पर्याप्त नहीं है।

३. अधुना, बृहन्मुंबई के लिये पुनरीक्षित प्रारूप विकास योजना के तैयारी का काम प्रगति पर है और उपर्युक्त परिस्थितियों ध्यान रखकर योजना प्राधिकरण यह सूचित करता है कि, सांविधिक समय-सीमा के भीतर, प्रारूप विकास योजना को प्रकाशित करना संभव नहीं हो सकेगा । उपर्युक्त अवलोकन से नवीनतम जनगणना के अनुसार १० लाख या अधिक जनसंख्यावाले बड़े शहरों के लिए अनुबद्ध समय-सीमा बढ़ाने की मंजूरी के लिए उक्त अधिनियम में यथोचित उपबंधो को सम्मिलित करना आवश्यक है। संशोधित समय-सीमाओं के आवेदन संबंधी संदेह को दूर करने के लिये, सम्मिलित उपबंध करना भी आवश्यक समझा गया है।

४. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ३७) में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था। अतः महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ (सन् २०१३ का महा. अध्यादेश १५) प्रख्यापित किया गया था।

५. तत्पश्चात्, ९ दिसंबर २०१३ को, नागपूर में, राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में बदलने के लिए एक विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में सन् २०१३ का विधानसभा विधेयक क्रमांक ३६ के रूप में, ११ दिसंबर २०१३ को प्रस्तुत किया गया था । तथापि, उक्त विधेयक राज्य विधानमंडल का २० दिसंबर २०१३ को सत्रावसान हो जाने के कारण प्रख्यापित नहीं हो सका था । भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३(२)(क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश १९ जनवरी २०१४ के बाद प्रवर्तित होने से परिविरत हो जायेगा । तथापि, सरकार, उक्त अधिनियम में, कतिपय अतिरिक्त गौण संशोधनों को उसमे, सम्मिलित करने के बाद, उक्त अध्यादेश को प्रवर्तन में जारी रखना इष्टकर समझती है ।

६. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियों विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उक्त अध्यादेश के उपबन्धो को जारी रखने के लिए महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनयम, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ३७ में) कतिपय गौण संशोधनों को सम्मिलित करने के बाद प्रख्यापित किया गया था ।

७. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है ।

मुंबई, **के. शंकरनारायणन्,**

दिनांकित १७ फरवरी २०१४। महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनुकुमार श्रीवास्तव,

शासन के प्रधान सचिव ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.